भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1338
11 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: शीतागार सुविधाएं

1338. श्री संजय उत्तमराव देशमुखः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश भर में उपलब्ध मौजूदा शीतगार किसानों की मांग के अनुसार पर्याप्त हैं और यदि हां, तो राज्य-वार, विशेषकर महाराष्ट्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा देश भर में खाद्यान्नों की भंडारण क्षमता में वृद्धि करने और भंडारण सुविधाओं को आधुनिक बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समय-सीमा निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार देश में किसानों के लिए विकेन्द्रीकृत भंडारण क्षमता स्थापित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो महाराष्ट्र सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस प्रयोजनार्थ अपेक्षित अनुमानित निधियों का ब्यौरा क्या है और इन सुविधाओं को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज (नैबकॉन्स) द्वारा 2015 में "अखिल भारतीय कोल्ड-चेन इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता (एआईसीआईसी-2015)" पर एक अध्ययन किया गया था। अध्ययन में उस समय कोल्ड स्टोरेज की आवश्यक क्षमता का आकलन किया गया जो वर्ष 2014 में महाराष्ट्र सहित 318.23 लाख मीट्रिक टन की मौजूदा क्षमता के मुकाबले 351.00 लाख मीट्रिक टन थी। अध्ययन में वर्ष 2019-20 तक कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता का भी आकलन किया गया जो 519.53 लाख मीट्रिक टन है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, 30 जनवरी, 2025 तक महाराष्ट्र सहित देश में 8760 कोल्ड स्टोरेज हैं जिनकी क्षमता 397.08 लाख मीट्रिक टन है। महाराष्ट्र सहित राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** में हैं।

(ख) एवं (ग): भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के लिए और बफर स्टॉक बनाए रखने के लिए खरीद के बाद खाद्यान्न (मुख्य रूप से गेहूं और चावल) का भंडारण करता है।

एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं के लिए खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई लगातार भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतराल के आकलन के आधार पर, गोदामों के निर्माण, गोदामों को किराए पर लेकर निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताओं की व्यवस्था की जाती है:

1. निजी उद्यमी गारंटी (पीईजी) योजना
2. केंद्रीय क्षेत्र योजना (सीएसएस)
3. पीपीपी मोड के तहत साइलो का निर्माण
4. केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूजी)/राज्य भंडारण निगम (एसडब्ल्यूजी)/राज्य एजेंसियों से गोदाम किराए पर लेना
5. निजी भंडारण योजना (पीडब्ल्यूएस) के माध्यम से गोदाम किराए पर लेना
6. संपत्ति मुद्रीकरण के तहत गोदामों का निर्माण

विभिन्न योजनाओं के तहत गोदामों के निर्माण के लिए निर्धारित समय-सीमा **अनुबंध** के अनुसार है।

(घ) और (ड.): ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्यान्न भंडारण की चुनौतियों के समाधान के लिए सरकार ने 31 मई 2023 को "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को मंजूरी दी है, जिसे पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है। इस योजना में भारत सरकार की विभिन्न मौजूदा योजनाओं जैसे एग्री इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ), कृषि विपणन इन्फ्रास्ट्रक्चर योजना (एएमआई), कृषि मशीनीकरण उपमिशन (एसएमएएम) प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारिकीकरण योजना (पीएमएफएमई) आदि के अभिसरण के माध्यम से गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों आदि सहित प्राथमिक कृषि ऋण सोसायटी (पैक्स) स्तर पर विभिन्न कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर का निर्माण शामिल है। योजना की पायलट परियोजना के तहत महाराष्ट्र राज्य सहित 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है। 10 राज्यों के 500 पैक्स में आधारशिला रखी गई है। महाराष्ट्र सहित 11 पैक्स का राज्य-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

यह योजना भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं, जैसे एआईएफ, एएमआई, एसएमएएम, आदि के तहत मौजूदा बजटीय परिव्यय का उपयोग करके कार्यान्वित की जा रही है, जिन्हें प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के स्तर पर एकीकृत किया जा रहा है।

इस पहल का उद्देश्य भंडारण को विकेन्द्रित करने, फसलोपरांत होने वाले नुकसान को कम करने तथा खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए पैक्स स्तर पर अनाज भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना है। यह योजना पैक्स को खरीद और भंडारण केन्द्रों के रूप में कार्य करने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार होता है तथा ग्रामीण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है। इस पहल का उद्देश्य खाद्यान्न की बर्बादी को कम करना, किसानों के लिए परिवहन लागत में कटौती करना और बेहतर मूल्य प्राप्ति सुनिश्चित करना है, जिससे पैक्स की समग्र बाजार दक्षता और वित्तीय स्थिरता में सुधार होगा। आधुनिक भंडारण इन्फ्रास्ट्रक्चर के साथ सहकारी समितियों को सशक्त बनाकर, इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण कृषि आपूर्ति श्रृंखलाओं में परिवर्तन लाना तथा किसानों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक लाभ सृजित करना है।

अनुबंध - I

देश में दिनांक 30.01.2025 तक कोल्ड स्टोरेज का राज्य-वार वितरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	परियोजना की सं.	क्षमता (एमटी)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	4	2210
2	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना	480	1996340
3	अरुणाचल प्रदेश	2	6000
4	असम	43	206742
5	बिहार	316	1490200
6	चंडीगढ़ (यूटी)	7	12462
7	छत्तीसगढ	130	577663
8	दिल्ली	97	129857
9	गोवा	29	7705
10	गुजरात	1023	4042770
11	हरियाणा	386	870703
12	हिमाचल प्रदेश	89	181318
13	जम्मू और कश्मीर	92	151833
14	झारखंड	59	242655
15	कर्नाटक	268	912417
16	केरल	202	96655
17	लक्षद्वीप (यूटी)	1	15
18	मध्य प्रदेश	320	1381827
19	महाराष्ट्र	665	1219851
20	मणिपुर	2	4500
21	मेघालय	4	8200
22	मिजोरम	3	4071
23	नागालैंड	5	8150
24	उड़ीसा	182	579321
25	पांडिचेरी (यूटी)	4	185
26	पंजाब	770	2604206
27	राजस्थान	190	648908
28	सिक्किम	2	2100
29	तमिलनाडु	188	399690
30	तेलंगाना	116	617131
31	त्रिपुरा	14	46354
32	उत्तर प्रदेश	2488	15096476
33	उत्तराखंड	62	206848
34	पश्चिम बंगाल	517	5952997
	कुल	**8760**	**39708361**

(स्रोत: विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय (डीएमआई) 2009 तक, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एनएचएम), पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन (एचएमएनईएच)) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

अनुबंध - II

महाराष्ट्र सहित देश की 11 पैक्स का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला	पैक्स का नाम	गोदाम की क्षमता (एमटी)	इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण
1.	महाराष्ट्र	अमरावती	नेरीपंगलाई विविध कार्यकारी सहकारी संस्था	3,000	गोदाम
2.	उत्तर प्रदेश	मिर्जापुर	बहुदेशीय प्राथमिक ग्रामीण सहकारी समिति लिमिटेड, कोटवा पांडे	1,500	गोदाम
3.	मध्य प्रदेश	बालाघाट	बहुदेशीयप्राथमिक कृषि साखसहकारी सोसायटी मर्यादित परसवाड़ा	500	गोदाम + धान प्राथमिक प्रसंस्करण इकाई
4.	गुजरात	अहमदाबाद	चंद्रनगर ग्रुप सेवा सहकारी मंडली लिमिटेड	750	गोदाम
5.	तमिलनाडु	थेनी	सिलमरथुपट्टी प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी	1,000	गोदाम
6.	राजस्थान	श्रीगंगानगर	घमूड़वाली ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड	250	गोदाम + बीज ग्रेडिंग इकाई + कस्टम हायरिंग सेंटर
7.	तेलंगाना	करीमनगर	प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, गंभीरोपेट	500	गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई
8.	कर्नाटक	बीदर	प्राइमरी कृषि सहकारी संघ लिमिटेड, एकम्बा	1,000	गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई
9.	त्रिपुरा	गोमती	खिलपारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड	250	गोदाम+ प्रसंस्करण इकाई+ग्रामीणहाट
10.	असम	कामरूप	2 नंबर पब बोंगशर जीपीएसएस लिमिटेड	500	गोदाम
11.	उत्तराखंड	देहरादून	बहुदेशीय किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड, सहसपुर	500	गोदाम
	कुल			**9,750**	

*****